

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/मु.म.कृ.जी.क.यो/15-16/742
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16.12.2015

01. कलेक्टर,
जिला.....
02. संयुक्त संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय.....

विषय :- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, 2008 के अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता राशि की भुगतान व्यवस्था बाबत।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक/बोर्ड/लेखा/मु.म.कृ.जी.क.यो/2015-16/1694-95 दिनांक 08 जुलाई, 2015 एवं पत्र क्रमांक/बोर्ड/लेखा/मु.म.कृ.जी.क.यो/2015-16/629-630 दिनांक 18 जुलाई, 2015

--00--

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिनके द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित दावों के भुगतान के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उपरोक्त निर्देशों के पश्चात् भी इन दावों के भुगतान में हो रहे विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि त्वरित भुगतान के लिए उपरोक्त निर्देशों में संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

01. योजना के हितग्राहियों के भुगतान के लिए जिला कलेक्टर मुख्यालय में इस हेतु संधारित खाते में अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
02. मण्डी बोर्ड, मुख्यालय द्वारा इस हेतु प्रत्येक आंचलिक कार्यालय को, उसके अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए प्रति जिला 5.00 लाख के मान से तथा अतिरिक्त रूपये 20.00 लाख उपलब्ध कराए जाएंगे।
03. आंचलिक कार्यालय इस योजना की उपलब्ध राशि में से प्रथमतः जिला कलेक्टर को इस योजना हेतु संधारित खाते में रूपये 5.00 लाख के मान से राशि अंतरित करेगा।
04. राशि अंतरण के पूर्व आंचलिक कार्यालय जिला कलेक्टर से योजना के खाते संबंधी जानकारी यथा खाता क्रमांक, बैंक का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड प्राप्त करेंगे तथा अपने कार्यालय में संधारित करेंगे। आंचलिक कार्यालय द्वारा राशि का अंतरण आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जाएगा तथा जिला कलेक्टर को राशि अंतरण की सूचना राशि जारी करते ही पत्र द्वारा देगे जिसका पृष्ठांकन इस कार्यालय को किया जाएगा।

05. जिला कलेक्टर योजना का एक पृथक खाता संधारित करेंगे तथा इस खाते में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग मात्र योजनान्तर्गत सहायता राशि के दावों के भुगतान के लिए ही किया जाएगा। खाते में अर्जित होने वाला ब्याज भी इस योजना का अंग होगा।
06. जिला कलेक्टर योजना के खाते में 2.00 लाख रुपये शेष रहने पर, निर्धारित संलग्न प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मांग पत्र आंचलिक कार्यालय को भेजेंगे। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मांग पत्र पठनीय एवं हस्ताक्षरित हो तथा वे सुनिश्चित करेंगे कि आंचलिक कार्यालय को निर्धारित सीमा में प्राप्त हो जाए।
07. आंचलिक कार्यालय द्वारा आगामी किरत का मांग पत्र प्राप्त होते ही, उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार राशि रुपये 5.00 लाख सीमान्तर्गत आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जिला कलेक्टर के खाते में अंतरित कराई जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक जिले में योजनान्तर्गत रुपये 5.00 लाख की राशि उपलब्ध रहेगी। जिला विशेष के लिए जहां अधिक संख्या में दावों का भुगतान होना है आंचलिक कार्यालय आवश्यकता एवं मांग अनुसार राशि उपलब्ध कराकर बोर्ड मुख्यालय को सूचित करेंगे।
08. आंचलिक कार्यालय के खाते में रुपये 10.00 लाख शेष रहते हुए जिले वार राशि उपयोगिता की जानकारी के साथ मण्डी बोर्ड मुख्यालय से राशि को मांग करेंगे। मुख्यालय द्वारा उन्हें त्वरित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आंचलिक कार्यालय के खाते में अर्जित ब्याज की राशि भी योजना का अंग होगी।
09. यदि जिला कलेक्टर को अपने मांग पत्र भेजने के पश्चात् एक सप्ताह में राशि प्राप्त नहीं होती तो जिला कलेक्टर आंचलिक कार्यालय को स्मरण कराते हुए इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
10. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आगामी 15 अप्रैल तक जिला कलेक्टर द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का एक मुश्त विवरण एवं राशि उपयोगिता की जानकारी आंचलिक कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आंचलिक कार्यालय के द्वारा जारी अग्रिम राशि का लेखों में समायोजन हो सके। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित

(अरूण पाण्डेय)

प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/मु.म.कृ.जी.क.यो/15-16/743

भोपाल, दिनांक 12.2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
02. निज सहायक, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
03. निज सहायक, कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन, भोपाल।
04. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
05. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म.प्र.शासन, भोपाल।
06. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
07. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
08. अपर संचालक/मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
09. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
10. लेखाधिकारी (लेखा/आडिट), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कार्यालय कलेक्टर

जिला.....

क्रमांक/ /
प्रति,

..... दिनांक

संयुक्त संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय.....

विषय :- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, 2008 के अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता राशि की भुगतान व्यवस्था बाबत;

संदर्भ :- क्रमांक/बोर्ड/लेखा/मु.म.कृ.जी.क.यो/ भोपाल, दिनांक .12.2015

--00--

उपरोक्त विषयांगत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में आपके कार्यालय मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, 2008 के अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता राशि रूपये.....(शब्दों में.....) का अग्रिम प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध राशि रूपये.....(शब्दों में.....) भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रूपये.....(शब्दों में.....) उपलब्ध है। भुगतान किये गये प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	हितग्राही का नाम	भुगतानकर्ता का नाम	निवासी	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण (मृत्यु,अंत्येष्टी, स्थाई अपंगता/अस्थायी अपंगता)	भुगतान की गई राशि	चेक क्रमांक	दिनांक
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.
योग							

कृपया राशि रूपये.....(शब्दों में.....)

की अग्रिम राशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कलेक्टर

जिला.....

कार्यालय, संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचलिक कार्यालय.....

क्रमांक/ /
प्रति,

....., दिनांक.....

प्रबंध संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

विषय :- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, 2008 के अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता राशि की भुगतान व्यवस्था बाबत।

संदर्भ :- क्रमांक/बोर्ड/लेखा/मु.म.कृ.जी.क.यो/ भोपाल, दिनांक .12.2015

--00--

उपरोक्त विषयांगत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में मुख्यालय द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, 2008 के अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता राशि रूपये.....(शब्दों में.....) की राशि प्राप्त हुई थी। जिसके विरुद्ध राशि रूपये.....(शब्दों में.....) संभाग के अंतर्गत जिला कलेक्टरों को भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रूपये.....(शब्दों में.....) उपलब्ध है। वर्तमान तक जिलों को भुगतान किये गये प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला का नाम	प्रकरणों की संख्या	भुगतान राशि	शेष राशि
01.	02.	03.	04.	06.
	योग			

अतः कृपया आगामी किश्त जारी करने का कष्ट करें।

संयुक्त संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय,.....